

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 17/2018-सीमा शुल्क (गै.टै./सीए/राआनि)

नई दिल्ली, 05 सितंबर 2018

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453 (ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916 (ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 79/2018-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 31.05.2016, का.आ.1924 (अ) दिनांक 31.05.2016 द्वारा प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं. 16 के स्तंभ सं. 2 तथा स्तंभ सं. 6 में मौजूद प्रविष्टियों को "मै कंसोलीडेटेड शिपिंग लाइन (आई) प्रा. लिमिटेड" तथा "प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क, न्हावा शेवा-II, मुंबई ज़ोन-II, उरण, रायगढ़" से क्रमशः प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फा. सं. DRI/HQ-CI/SDD/CAA-16/2018-CI]

(शैलेश कुमार)
अपर निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, न्हावा शेवा-II, मुंबई ज़ोन-II, उरण, रायगढ़।
2. केन्द्रीय वस्तु, सेवाकर एवं सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त, विसाखापट्टनम ज़ोन के कार्यालय में अपर आयुक्त को उनके पत्र सं. VIII/48/25/2017-CC(VZ) -Cus(Tech.) दिनांक 26.07.2018 के संदर्भ में।
3. प्रधान आयुक्त, कस्टम हाउस, पोर्ट एरिया, विसाखापट्टनम के कार्यालय में आयुक्त सीमाशुल्क के पत्र सं. S22/07/2015-SIIB दिनांक 26.09.2017 के संदर्भ में।
4. अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई से निवेदन है कि कृपया इस अधिसूचना की एक प्रति मै कंसोलीडेटेड शिपिंग लाइन (आई) प्रा लिमिटेड को सूचनार्थ भेजने का कष्ट करे।